भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1255
उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास

†1255. श्री राहुल गांधी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों की संख्या सहित नामांकित छात्रों की सामाजिक श्रेणी-वार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय में उपलब्ध छात्रावास सीटों की कुल संख्या के साथ-साथ ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षित छात्रावास की सीटों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रावास के आवंटन में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण लागू किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी छात्रों को छात्रावास उपलब्ध कराने के लिए पिछले दस वर्षों के दौरान आवंटित की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके तहत सृजित की गई छात्रावास क्षमता एवं किया गया व्यय कितना है तथा इसमें सामाजिक श्रेणी-वार समायोजित किए गए छात्रों की संख्या कितनी है; और
(ङ) क्या सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रावास की अनुपलब्धता के कारण छात्रों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है और यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

वर्तमान में, 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 3,09,542 छात्र नामांकित हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उपलब्ध छात्रावासों का ब्यौरा और उनमें रहने वाले छात्रों की संख्या

अनुलग्नक-1 में संलग्न है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले लगभग 32% छात्र ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं।

सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके अधिनियमों, संविधि और उनके तहत बनाए गए अध्यादेशों द्वारा शासित हैं। विश्वविद्यालय अपने संबंधित वैधानिक निकायों की मंजूरी से, छात्रावास आवास के आवंटन सहित, प्रशासनिक और शैक्षणिक निर्णय लेने में सक्षम हैं।

छात्रों की बढ़ती संख्या के साथ, छात्रों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालयों द्वारा अतिरिक्त छात्रावास अवसंरचना का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार सहायक अनुदान और उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) से वित्त पोषण के माध्यम से, छात्रावासों सहित, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास में सहायता करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के रूप में 5603.79करोड़ रुपए जारी किए गए थे । वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 1,13,943.55 करोड़ रुपए जारी किए गए थे (अनुलग्नक-2)। वर्ष 2026-27 के दौरान 17,440 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इन निधियों का उपयोग विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी शैक्षणिक, प्रशासनिक अवसंरचनागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में, प्रत्येक जिले को शामिल करते हुए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) के संस्थानों में उच्चतर शिक्षा में छात्राओं के छात्रावासों के लिए व्यवहार्यता निधि अंतराल (वीजीएफ)/पूंजीगत सहायता का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, संस्थागत क्षमता के संबंधित विस्तार के माध्यम से केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए ओबीसी विस्तार योजना शुरू की गई थी। इस योजना को वर्ष 2008-09 से शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया गया था, जिसमें गैर-आवर्ती/भवन अनुदान के लिए उपयोग की अवधि बाद में दिनांक 31.03.2019 तक बढ़ा दी गई थी। कुल 13 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को आवर्ती और गैर-आवर्ती शीर्षों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। ओबीसी विस्तार योजना के तहत, वर्ष 2008-09 के दौरान 13 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 2,496.93 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। अनुदान की अधिकांश राशि योजना के कार्यान्वयन चरण के दौरान जारी की गई थी, जबकि शेष राशि उपयोग अवधि के विस्तार के दौरान जारी की गई है।

सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य कमजोर वर्ग के छात्रों सहित सभी श्रेणियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है, जो मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अधीन है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

विभाग (डीएसजेई) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, डीएसजेई अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एवं अन्य वर्गों के लिए पीएम यंग अचिवर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्किम फॉर वाईब्रेंट इंडिया (पीएम-यशस्वी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं टॉप-क्लास कॉलेज शिक्षा जैसी घटक योजनाएं सम्मिलित है, जिनका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) तथा डीएनटी विद्यार्थियों को देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है; तथा युवा उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस-ओबीसी) जिसके अंतर्गत अन्य पिछडा वर्ग के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफओबीसी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के विद्यार्थियों के विदेश में उच्च शिक्षा हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज अनुदान की डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना जैसे घटक योजनाएं सम्मिलित हैं। इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना और पीएम-विद्यालक्ष्मी को कार्यान्वित करता है, जिसके तहत योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ग्रामीण और अन्य दूरदराज के क्षेत्रों से संबंधित ओबीसी तथा अन्य कमजोर वर्ग के छात्र भी शामिल हैं।

अनुलग्नक-1

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राहुल गांधी द्वारा पूछे गए दिनांक 27/07/2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1255 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 01.04.2026 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रावासों का विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	छात्रावासों की कुल संख्या	क्र.सं. 1 में दर्शाए गए कुल छात्रावासों में से बालिका छात्रावासों की संख्या	विश्वविद्यालय के छात्रावासों में कमरों की कुल संख्या			विश्वविद्यालय के छात्रावासों में निवासियों की कुल संख्या			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	टीजी	विदेशी	कुल	पीडब्लूबीडी
					छात्रों के लिए कमरा	छात्राओं के लिए कमरा	कुल	पुरुष	महिलाएं	कुल									
गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय																			

1	**आंध्र प्रदेश**	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	2	1	550	329	879	573	638	1211	335	242	80	531	23	0	0	1211	0
2		आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति	10	6	269	160	429	573	643	1216	374	143	65	534	90	0	3	1209	7
4	**बिहार**	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	3	2	300	282	582	594	941	1535	354	214	74	645	247	0	1	1535	18
5		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	1	1	0	24	24	0	42	42	22	3	2	10	5	0	0	42	2
6	**छत्तीसगढ़**	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	10	5	765	551	1316	974	903	1877	538	274	125	741	189	0	0	1867	10

7		दिल्ली विश्वविद्यालय	20	9	868	1515	2412	988	1830	2818	1412	332	278	466	44	0	286	2818	105
8		जामिया मिलिया इस्लामिया	20	6	438	650	1088	1450	2001	3451	2377	11	27	905	27	0	41	3388	63
9		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	18	10	2677	1614	4291	3282	2514	5796	1587	811	427	2162	754	0	55	5796	243
10	**दिल्ली**	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	30	13	802	494	1296	2001	1452	3453	1949	286	227	790	201	0	0	3453	11
11		श्री एलबीएस आरएस विद्यापीठ, नई दिल्ली	1	0	50	0	50	93	0	93	54	1	2	17	19	0	0	93	0
12	**गुजरात**	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	4	2	120	110	230	240	304	544	223	64	29	170	48	0	6	540	4
13	**हरियाणा**	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	7	4	315	420	735	1089	1451	2540	694	416	120	953	349	0	0	2532	8

14	**हिमाचल प्रदेश**	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	3	2	42	50	92	66	99	165	68	26	10	39	22	0	0	165	0
15	**जम्मू और कश्मीर**	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	6	1	325	196	521	671	415	1086	486	126	66	340	68	0	0	1086	0
16		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	1	1	0	10	10	0	28	28	15	1	5	6	1	0	0	28	0
17	**झारखंड**	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	4	2	418	382	800	534	552	1086	371	140	101	417	57	0	0	1086	0
18	**कर्नाटक**	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	12	5	535	514	1049	1589	1445	3034	897	469	205	1255	208	0	0	3034	14
19	**केरल**	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	10	6	383	467	850	618	1209	1827	424	270	109	927	80	2	2	1814	18
20	**मध्य प्रदेश**	डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय	8	3	627	430	1057	873	644	1517	402	237	103	653	111	0	0	1506	14
21		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	6	3	339	403	742	1313	1522	2835	723	390	382	1116	218	0	0	2829	6

22	**महाराष्ट्र**	एम.जी.ए. हिंदी विश्वविद्यालय	8	2	878	372	1250	720	321	1041	272	185	44	464	76	0	0	1041	14
23	**ओडिशा**	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	3	2	238	238	476	468	460	928	131	88	53	166	30	0	0	468	1
24	**पंजाब**	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	4	2	355	355	710	1065	1040	2105	674	346	131	682	230	0	42	2105	7
25	**पुडुचेरी**	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	23	9	1385	1294	2679	2747	3108	5855	1432	777	340	2824	404	0	28	5805	66
26	**राजस्थान**	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	8	4	893	464	1357	1449	1220	2669	900	346	131	1232	52	0	8	2669	0
27	**तमिलनाडु**	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	8	4	453	451	904	882	1282	2164	338	420	97	1207	94	0	8	2164	5
28	**तेलंगाना**	एम.ए.एन. उर्दू विश्वविद्यालय	8	3	374	239	613	1335	1036	2371	941	22	82	982	332	0	3	2362	25
29		हैदराबाद विश्वविद्यालय	23	10	1650	1308	2958	2850	2431	5281	1276	902	434	2121	520	0	2	5255	26

30		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	5	3	675	634	1309	788	924	1712	554	239	131	563	133	0	65	1685	27
31	**उत्तराखंड**	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय	18	7	459	740	1199	555	865	1420	583	205	69	442	115	0	0	1414	6
32	**उत्तर प्रदेश**	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	79	23	2922	1546	4468	8088	5340	13428	7954	110	154	4649	149	0	49	13065	363
33		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	72	34	5031	3157	8188	8426	5773	14199	6247	1808	810	3792	541	0	576	13774	425
34		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	11	6	324	476	800	697	1043	1740	457	669	185	235	153	0	11	1710	34
35		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	18	7	1859	859	2718	1495	1301	2796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**पश्चिम बंगाल**	विश्व भारती	27	10	670	564	1234	1631	1305	2936	1268	430	198	780	290	0	89	3055	25
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		**491**	**208**	**27989**	**21298**	**49316**	**50717**	**46082**	**96799**	**36332**	**11003**	**5296**	**32816**	**5880**	**2**	**1275**	**92604**	**1547**

पूर्वोत्तर क्षेत्र के केंद्रीय विश्वविद्यालय																			
37	**असम**	असम विश्वविद्यालय	11	6	240	360	600	350	414	764	307	115	61	205	76	0	0	764	0
38		तेजपुर विश्वविद्यालय	18	10	1561	1277	2838	2781	2173	4954	1882	628	504	1615	264	0	56	4949	5
39	**अरुणाचल प्रदेश**	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	17	9	740	463	1203	935	794	1729	264	64	1124	176	68	0	0	1696	33
40	**मणिपुर**	मणिपुर विश्वविद्यालय	22	13	500	580	1080	875	541	1416	105	339	417	577	17	0	0	1455	10
41	**मेघालय**	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	25	12	421	474	895	888	1001	1889	486	167	997	184	49	0	6	1889	4
42	**मिजोरम**	मिजोरम विश्वविद्यालय	19	9	576	413	989	924	770	1694	196	69	1287	91	51	0	0	1694	5
43	**नागालैंड**	नागालैंड विश्वविद्यालय	32	16	992	960	1952	1489	967	2456	68	66	1410	107	12	0	0	1663	1

44	**सिक्किम**	सिक्किम विश्वविद्यालय	16	6	101	188	289	210	248	458	128	70	66	153	32	0	8	457	1
45	**त्रिपुरा**	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	6	3	95	148	243	151	265	416	163	52	109	86	6	0	0	416	2
	कुल (II) (एनईआर)		**166**	**84**	**5226**	**4863**	**10089**	**8603**	**7173**	**15776**	**3599**	**1570**	**5975**	**3194**	**575**	**0**	**70**	**14983**	**61**
	कुल अनुदान (I+II)		**657**	**292**	**33215**	**26161**	**59405**	**59320**	**53255**	**112575**	**39931**	**12573**	**11271**	**36010**	**6455**	**2**	**1345**	**107587**	**1608**

अनुलग्नक-2

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राहुल गांधी द्वारा पूछे गए दिनांक 27/07/2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1255 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	**वर्ष**	**जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)**
1	2013-14	5603.79
2	*2014-15*	*5634.85*
3	*2015-16*	*5558.78*
4	*2016-17*	*6312.14*
5	*2017-18*	*7286.33*
6	*2018-19*	*6608.60*
7	*2019-20*	*7988.74*
8	*2020-21*	*8639.08*
9	*2021-22*	*8953.45*
10	*2022-23*	*11288.55*
11	*2023-24*	*12546.43*
12	*2024-25*	*16058.81*
13	*2025-26*	*17067.79*
	कुल क्र.सं. 2 से 13	**₹ 1,13,943.55**
